

व्र हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
गुलाबचन्द बनाम श्रीमती छग्गुदेवी
452/17

नम्बर व तारीख
अहकाम जो
इस हुक्म की
तामील में जारी
हुए

02.01.18

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि अपीलान्ट द्वारा उप तहसीलदार बगरू द्वारा नामान्तरकरण संख्या 146 पर पारित आदेश दिनांक 13.11.17 के विरुद्ध हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है तथा उप तहसीलदार द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन आदेश भू राजस्व अधिनियम की धारा 135(2) के अन्तर्गत पारित आदेश नही होने के कारण उक्त आदेश के विरुद्ध अपील न्यायालय हाजा के समक्ष पोषनीय नही होने पर अपील पर अग्रिम कार्यवाही संभव नही है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट न्यायालय हाजा के समक्ष पोषनीय नही होने के कारण अपील सक्षम न्यायालय के समक्ष पेश करने हे तु वापस लौटाई जावे तथा न्यायालय हाजा की पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमिल जाब्त दाखिल दफ़्तर हो। आदेश सुनाया गया।

(राजेश्वर सिंह)

संभालीया आयुक्त
जयपुर